an>

Title: Need to ban Chinese abrasive string (manjha) used for flying kites.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान चाइनीज़ मांझे के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र मेरठ में 11 अप्रैल, 2016 को यानी 15 दिन पहले ही, चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाते समय एक दस वर्षीय बालक शहजाद की पतंग 33 हजार किलोवाट की हाई टेंशन लाइन में उलझ गयी तथा मांझे में करंट दौड़ने से गम्भीरतापूर्वक झूलसने के परिणामस्वरूप उस बच्चे का देहांत हो गया। इस दर्दनाक हादसे के अलावा देश भर में चाइनीज मांझे के कारण पहले भी इंसानों एवं पक्षियों के घायल होने व मृत्यु होने की घटनाएं होती रही हैं। यह मांझा जानलेवा होने के साथ ही साथ जहरीले व नॉन बायोडिग्रेडबल संगठकों से निर्मित होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत हानिकारक है। कुछ प्रदेशों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चाइनीज़ मांझे की बिक्री व उपयोग को प्रतिबंधित किया हुआ है। इस प्रतिबंध के बावजूद मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावकारी रोक नहीं लग पायी है, जिसका प्रमुख कारण चाइनीज़ मांझे की सटीक परिभाषा का अभाव है। एक स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण इस मांझे के विक्रेता कानूनी दायरे से बाहर चले जाते हैं तथा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सर्वप्रथम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस मांझे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चाइनीज़ मांझे अथवा इसी प्रकार के हानिकारक मांझे के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल,

श्री भैरो प्रसाद मिश्र,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।